तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज **रेफरेन्स/एलआर/4430/2004/दौसा** **सरकार बनाम रामजीलाल व अन्य**	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
16-03-2026	**एकलपीठ** **श्री महेन्द्र लोढ़ा, सदस्य** **उपस्थितः–** श्री शान्ति प्रकाश ओझा, उप–राजकीय अभिभाषक प्रार्थी की ओर से। विपक्षी बावजूद सूचना अनुपस्थित। अतः एकपक्षीय कार्यवाही। **आदेश** 1– यह रेफरेंस न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, दौसा ने राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 82 राज0 काश्तकारी के अन्तर्गत अपने निर्णय दिनांक 12–07–2004 के द्वारा अनुशंषा करते हुए मण्डल को प्रेषित किया है। 2– संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि तहसीलदार, (भू0अ0) सिकराय ने रेफरेन्स अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रतिप्रेषित कर निवेदन किया कि आराजी खसरा नम्बर 222/1 ल0 7 रकबा 6 बीघा 9 बिस्वा वाके मौजा भोजपुरा माफी मंदिर श्री सीताराम जी वाके मौजा भोजपुरा की खातेदारी की भूमि है। नामांतरकरण संख्या 82 दिनांक 28–12–67 के द्वारा माफी मंदिर श्री सीताराम जी वाके देह का नाम हटाया जाकर खातेदारी रामजीलाल, भगवानसहाय, रामकिशन पि0 श्रीपा ब्राह्म्ण के नाम दर्ज कर दी गयी। उक्त माफी मंदिर का खातेदार श्री सीताराम जी की मूर्ति नाबालिग है मंदिर मूर्ति शाश्वत नाबालिग है जिसकी देख रेख पुजारी करता है। परंतु पुजारी रामजीलाल, भगवानसहाय, रामकिशन पि0 श्रीपा ब्राह्म्ण नि0 भोजपुरा ने निजी स्वार्थवश उक्त मंदिर की मूर्ति की खातेदारी अपने नाम दर्ज कराली। मंदिर मूर्ति शाश्वत नाबालिग है जिस पर राज0 काश्तकारी अधिनियम की धारा 46 के प्रावधान लागू होते हैं। नाबालिग की खातेदारी भूमि का हस्तांतरण पुजारी को अपने हक में कराने का कोई वैधानिक अधिकार प्राप्त नहीं है। अतः आराजी खसरा नम्बर 222/1 ल 7 रकबा 6 बीघा 9 बिस्वा वाके मौजा मोजपुरा पर से पुजारी रामजीलाल, भगवानसहाय, रामकिशन पि0 श्रीपा ब्राह्म्ण की खातेदारी से समाप्त कर मंदिर माफी मंदिर श्री सीताराम जी वाके देह मौजपुरा के नाम दर्ज करने का निर्णय पारित किया जावे। 3– न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर दौसा ने अपने आदेश दिनांक 12–07–2004 के द्वारा तहसीलदार द्वारा प्रस्तुत रेफरेन्स प्रार्थना पत्र स्वीकार कर प्रकरण मण्डल को अभिशंषा हेतु प्रेषित किया है।	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज **रेफरेन्स/एलआर/4430/2004/दौसा** **सरकार बनाम रामजीलाल व अन्य**	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	4– रेफरेन्स दर्ज रजिस्टर किया गया तथा प्रार्थी की एकपक्षीय बहस सुनी गई। 5– योग्य उप राजकीय अधिवक्ता ने तर्क दिया कि प्रश्नगत भूमि मंदिर श्री सीताराम जी की खातेदारी में दर्ज थी। बाद में बिना किसी आधार व आदेश के मंदिर श्री सीताराम जी के नाम से विवादित भूमि की खातेदारी हटा कर अप्रार्थी की खातेदारी में दर्ज कर दी गई जो अवैध एवं अनुचित है। मंदिर को शाश्वत नाबालिग माना गया है और उसकी भूमि पर सेवक/पुजारी या किसी भी अन्य व्यक्ति को काश्त करने से कोई स्वत्व व अधिकार प्राप्त नहीं होते है और यदि इस प्रकार के अधिकार किसी व्यक्ति को प्राप्त हो भी गए है तो वह राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 46 के प्रावधानों के विपरीत है तथा प्रारंभ से ही प्रभावशून्य है। अतः भूमि को अप्रार्थी की निजी खातेदारी से हटा कर पुनः मंदिर श्री सीताराम जी के नाम दर्ज करने का आदेश पारित किया जावे। 6– हमने विद्वान अभिभाषक प्रार्थी के तर्को पर गहनता से मनन किया तथा पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेख का ध्यानपूर्वक अध्ययन किया। पत्रावली के साथ नकल नामांतरकरण संख्या 82 संलग्न है। नकल फोटो प्रति खतौनी जमाबंदी भूमि एकीकरण विभाग सम्वत् 2016 संलग्न है जिसके अनुसार खसरा नम्बर 222/1 लगायत 7 रकबा 6 बीघा 9 बिस्वा भूमि माफी मंदिर श्री सीताराम जी के नाम दर्ज होना अंकित है। नकल फोटो प्रति जमाबंदी सम्वत् 2019–22 संलग्न है जिसके अनुसार खसरा संख्या 222/1 ल0 7 रकबा 6 बीघा 9 बिस्वा भूमि माफी बनाम मंदिर श्री सीताराम जी के नाम दर्ज होना अंकित है। नकल फोटो प्रति जमाबंदी सम्वत् 2023–26 संलग्न है जिसके अनुसार प्रश्नगत आराजी खसरा नम्बर 222/1 लगायत 7 रामजीलाल, भगवान सहाय, रामकिशन पि0 श्रया के नाम दर्ज होना अंकित है। नकल जमाबंदी सम्वत् 2056–59 संलग्न है जिसके अनुसार प्रश्नगत आराजी रामजीलाल, भगवानसहाय पि0 श्रीया के नाम दर्ज होना अंकित है। इस प्रकार राजस्व रिकार्ड का अवलोकन करने से साबित है कि विवादित भूमि पूर्व में मंदिर श्री सीताराम जी के नाम खातेदारी में दर्ज रिकार्ड थी जो बाद में अप्रार्थीगण के नाम खातेदारी में दर्ज कर दी गई। चूँकि विधि का यह सुस्थापित सिद्धांत है कि मूर्ति मंदिर की भूमि किसी भी व्यक्ति की खातेदारी में अंकित नहीं की जा सकती। मंदिर आदि शाश्वत् नाबालिग है और मंदिर की भूमियों पर राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 46 के प्रावधानों के अन्तर्गत किसी अन्य व्यक्ति को खातेदारी अधिकार प्राप्त नहीं हो सकते है। मंदिर की खुदकाश्त	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज **रेफरेन्स/एलआर/4430/2004/दौसा** **सरकार बनाम रामजीलाल व अन्य**	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	भूमि पर किसी व्यक्ति द्वारा काश्त करने पर भी वह मंदिर की खुदकाश्त मानी जावेगी। काश्त करने के आधार पर कृषक/पुजारी/सेवक को खातेदारी अधिकार प्राप्त नहीं हो सकते है। 7– अतः रेफरेंस स्वीकार किया जाकर आराजी खसरा नम्बर 222/1 ल0 7 रकबा 6 बीघा 9 बिस्वा वाके मौजा भोजपुरा को पुनः मंदिर श्री सीताराम जी के नाम दर्ज किये जाने के आदेश दिये जाते है। अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख आदेश की प्रति के साथ नियमानुसार भिजवाया जावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम की जावे। अधीनस्थ न्यायालय का रिकार्ड लौटाया जावे। आदेश खुले न्यायालय में सुनाया गया। **(डॉ0 महेन्द्र लोढ़ा)** **सदस्य**	